प्रमाण पत्र

प्रादर्श–"स"

उप मंडल अभियंता भारत संचार निगम लिमिटेड रायपुर छ0ग0 को ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु तहसील कोण्डागांव एवं माकड़ी अंतर्गत निम्न तालिका अनुसार :–

क्र	जिला का नाम	तहसील का नाम	वन भूमि का विवरण		
			वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	प्रस्तावित रकबा (हे.में.)
1	कोण्डागांव	कोण्डागांव	द. गोलावण्ड	RF 566	0.114
2	–"–	–"–	–"–	RF 568	0.058
3	–"–	–"–	–"–	RF 567	0.044
4	–"–	–"–	–"–	RF 569	0.081
5	–"–	–"–	बिलपुटी	PF 344	0.041
6	–"–	–"–	सबलपुर	PF 453	0.023
7	–"–	–"–	जामगांव	PF 519	0.022
8	–"–	–"–	–"–	PF 521	0.037
9	–"–	–"–	–"–	PF 524	0.025
10	–"–	–"–	सबलपुर	PF 448	0.025
11	–"–	–"–	–"–	PF 449	0.025
12	–"–	–"–	दहीकोंगा ई	OA 565 (930)	0.064
13	–"–	माकडी	माकडी	RF 151	0.073
14	–"–	–"–	–"–	RF 152	0.090
15	–"–	–"–	–"–	RF 106	0.054
16	–"–	–"–	–"–	RF 118	0.043
17	–"–	–"–	–"–	RF 163	0.032
18	–"–	–"–	–"–	RF 162	0.122
19	–"–	–"–	–"–	RF 221	0.117
20	–"–	–"–	–"–	RF 222	0.059
21	–"–	–"–	–"–	RF 166	0.080
22	–"–	–"–	–"–	RF 278	0.079
23	–"–	–"–	–"–	RF 270	0.058
24	–"–	–"–	–"–	RF 272	0.052
25	–"–	–"–	–"–	RF 266	0.047
26	–"–	माकडी	माकडी	RF 268	0.013
27	–"–	–"–	–"–	RF 265	0.036
28	–"–	–"–	–"–	RF 261	0.100
29	कोण्डागांव	–"–	–"–	RF 259	0.062
30	–"–	–"–	–"–	RF 260	0.005
31	–"–	–"–	–"–	RF 246	0.090
32	–"–	–"–	–"–	RF 247	0.045
33	–"–	–"–	–"–	RF 223	0.003
34	–"–	–"–	छोटे सलना	PF 101	0.017
35	–"–	–"–	शामपुर	PF 102	0.020
36	–"–	–"–	बीजापुर	PF 404	0.044
37	–"–	–"–	पोलकाबेड़ा	PF 410	0.055
38	–"–	–"–	बिंजोली	PF 418	0.036
39	–"–	–"–	सी.स.व,उत्तर बवई	OA 99 (657)	0.028
40	–"–	–"–	सी.स.व.दक्षिण बवई	OA 98(656)	0.014
				योग	**2.033**

वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा उपरोक्त तालिका अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि **रकबा 2.033 है.** जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, जो तहसील कोण्डागांव एवं माकड़ी में स्थित है., में तदानुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति अनुभाग कोण्डागांव की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 17.04.2023 (प्रादर्श–ब) प्रदाय किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव दिनांक 17.04.2023 को अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति अनुभाग कोण्डागांव द्वारा बैठक किया गया था, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे, जिनका परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में बताया गया है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति कोई नही है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको की संख्या तहसीलवार निम्नानुसार है:–

क्रमांक	तहसील का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
01	कोण्डागांव	निरंक	निरंक
02	माकड़ी	निरंक	निरंक

3. प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति अनुभाग कोण्डागांव के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति अनुभाग कोण्डागांव के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 17.04.2023 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपर्वतन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है जिनका वन अधिकार अनुसचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा–3 (1) (1) अन्तर्गत विशेष रुप से संरक्षित रखना है।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति अनुभाग कोण्डागांव दिनांक 17.04.2023 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा–3 (2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

कलेक्टर
जिला–कोण्डागांव(छ0ग0)

Annexure-I

FORM-I

(for linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector kondagaon (C.G.)

*****

No..346 Dated..03.05.2023

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in linear projects, it is certified that **2.033 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Sub Divisional Engineer Bharat Sanchar Nigam Limited Raipur Chhattisgarh** (name of user agency) for **Laying of Optical Fiber Cable** (purpose for diversion of forest land) in **Kondagaon** district falls within jurisdiction of **S.Golawand, Chilputi, Sambalpur, Jamgaon, Dahikonga E,** Forest Block in **Kondagaon** tehsils. **& Makdi, Chhote Salna, Shampur, Bijapur, Polkabeda, Binjoli North Bawai , South Bawai** Forest Block in **Makdi** tehsils.

It is furher certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.033 hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B to S .**

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have Been completed and the gram Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above

Collector
District Kondagaon(C.G.)